अति महत्वपूर्ण

पत्रांकः 2प / वि0–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांकः 30 / 4 / 2026

विषय : Solid Waste Management Rules, 2026 के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन–जागरूकता हेतु मई माह में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंगः बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पत्रांक–644 दिनांक 20.04.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 अधिसूचित किये गये हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है।

संदर्भित मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174/2023 Bhopal Municipal Corporation vs. Dr. Subhash C. Pandey & Ors. में दिनांक 19.02.2026 को एक आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Solid Waste Management Rules. 2026 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया है।

इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष ग्राम सभा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा के दौरान चर्चा हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के प्रमुख बिंदु का निम्नवत् अनुपालन किया जाना है:–

- **कचरे का चार धारा पृथक्करण (Four-Stream Segregation)**: प्रत्येक रविवार को कचरे को चार श्रेणियों में यथा गीला (जैविक), सूखा (पुनर्चक्रण योग्य), सैनिटरी (डायपर नैपकिन आदि) और विशेष देखभाल कचरा (इलेक्ट्रॉनिक, दवाईयां आदि) में बांटना अनिवार्य है।
- **खुले में कचरा फेकने एवं जलाने पर पूर्ण प्रतिबंधः** गलियों, नालियों या जल निकायों में कचरा फेंकना और कचरे को खुले में जलाना दंडनीय अपराध है।
- **गीले कचरे का ऑन–साइट प्रसंस्करण**: ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे जैविक कचरे से खाद्य (Composting) तैयार करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ विकसित करें।

क्र०पृ०उ०

D:\BALRAM\LETTER.docx

- **उपभोक्ता शुल्क (User Fee):** नियमावली, 2026 के अनुसार कचरा संग्रहण सेवाओं तथा प्रबंधन के लिए नागरिकों द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

- **बल्क वेस्ट जेनरेटर (BWG) की जिम्मेदारी:** गांव के भीतर स्थित संस्थान, बाजार या बड़े आयोजन स्थल अपने कचरे के प्रबंधन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। पंचायत में थोक अपशिष्ट उत्पादकों को चिन्हित करना।

- **पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए आधारभूत संरचनाओं का आकलन।**

- **जनप्रतिनिधियों की भूमिका:** वार्ड सदस्यों और मुखिया को कचरा पृथक्करण के लिए लीड फसिलिटेटर के रूप में कार्य करना।

अतः अनुरोध है कि सभी ग्राम पंचायतों में मई, 2026 में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने हेतु अपने स्तर से रोस्टर तैयार कर सभी ग्राम पंचायतों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 30/4/26
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प / वि०–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा० पटना, दिनांकः 30 / 4 / 2026

प्रतिलिपिः सदस्य सचिव, बिहार राज्य पदूषण नियंत्रण पर्षद्, बिहार, पटना का पत्रांक–644 दिनांक 20.04.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/4/26
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प / वि०–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा० पटना, दिनांकः 30 / 4 / 2026

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/4/26
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प / वि०–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा० पटना, दिनांकः 30 / 4 / 2026

प्रतिलिपिः उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/4/26
अपर सचिव

ज्ञापांक: 2प / वि०–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा०   पटना, दिनांक: 30 / 4 / 2026

प्रतिलिपि: सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 2प / वि०–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा०   पटना, दिनांक: 30 / 4 / 2026

प्रतिलिपि: आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

D:\BALRAM\LETTER.docx

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी.–2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो० सदाकत आश्रम, पाटलीपुत्र, पटना–800010

पटना, दिनांक: 20.05.2026

पत्रांक: 644

प्रेषक

डॉ० [illegible] के०, [illegible]

सदस्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सचिव,

पंचायती राज विभाग,

बिहार सरकार।

विषय: Solid Waste Management Rules, 2026 के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन–जागरूकता हेतु एक ही तिथि पर **'विशेष ग्राम सभा'** आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग: 1. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 388(अ), दिनांक 27.01.2026
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश (C.A. No. 6174/2023) दिनांक 19.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत है कि भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 अधिसूचित किए गए हैं, जो दिनांक **01 अप्रैल 2026** से प्रभावी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174 of 2023 (Bhopal Municipal Corporation vs. Dr. Subhash C. Pandey & Ors.) में दिनांक 19.02.2026 को पारित आदेश के अनुपालन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पर्षद् पत्रांक 512, दिनांक [illegible].03.2026 द्वारा विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार एवं सभी जिला पदाधिकारी तथा सभी नगर निकायों से अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त पर्षद् पत्रांक 112 दिनांक 01.04.2026 द्वारा विभिन्न हितधारकों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन हेतु Direction भी निर्गत किया गया है **(प्रतिलिपि संलग्न)**।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 19.02.2026 आदेश में इस बात पर जोर दिया है कि इन नियमों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जन–जागरूकता अनिवार्य है।

अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए यह आवश्यक है [illegible] सभी ग्राम पंचायतों में **'विशेष ग्राम सभा'** का आयोजन मई–2026 माह की किसी भी तिथि को

किया जाए, ताकि प्रत्येक ग्राम वासियों को उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराया जा [illegible] पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति तैयार की जा सके;

ग्राम सभा के दौरान चर्चा हेतु उपर्युक्त नियमावली, 2026 के प्रमुख बिंदु:

- **कचरे का चार–धारा पृथक्करण (Four-Stream Segregation):** प्रत्येक परिवार [illegible] कचरे को चार अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य है: गीला (जैविक), सूखा (पुनर्चक्रण योग्य), सैनिटरी (डायपर नैपकिन आदि) और विशेष देखभाल कचरा ([illegible] दवाइयां आदि)।
- **खुले में कचरा फेंकने एवं जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध:** गलियों, नालियों [illegible] निकायों में कचरा फेंकना और कचरे को खुले में जलाना दंडनीय अपराध है।
- **गीले कचरे का ऑन–साइट प्रसंस्करण:** ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाए [illegible] वे जैविक कचरे से खाद (composting) तैयार करने के लिए विकेंद्रीकृत [illegible] विकसित करें।
- **उपभोक्ता शुल्क (User Fee):** नियमावली, 2026 के अनुसार, कचरा संग्रहण [illegible] तथा प्रबंधन के लिए नागरिकों द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान किया [illegible] अनिवार्य है।
- **बल्क वेस्ट जेनरेटर (BWG) की जिम्मेदारी:** गांव के भीतर स्थित संस्थान, [illegible] बड़े आयोजन स्थल अपने कचरे के प्रबंधन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। [illegible] थोक अपशिष्ट उत्पादकों को चिन्हित करना।
- पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए आधारभूत संरचनाओं का आकलन।
- **जनप्रतिनिधियों की भूमिका:** वार्ड सदस्यों और मुखिया को कचरा पृथक्करण के लिए लीड फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना।

अनुरोध है कि राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में **'विशेष ग्राम सभा'**, एक ही तिथि तथा समय पर आयोजित करने हेतु समुचित निदेश देने की कृपा करना चाहेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डॉ० [illegible])
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: सरकार के अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

EPABX-0612-2261250/2262265, Fax-0612-2261050
E-mail. , Website:

a) **State Level:** A committee for Effective Implementation at the State level, chaired by the Chief Secretary, is constituted to monitoring implementation and remove state level difficulties, Furthermore, a State Level Steering Committee will focus specifically on the circular economy in solid waste processing.

b) **District Level:** The District Magistrate or District Collector is empowered to review the performance of local bodies at least once in a quarter. They must ensure the urban-rural convergence of sanitary landfills and common waste processing plants.

c) **Gram Panchayat / Block Level:** The Department of rural Development is designated as the nodal department for rural areas. District Panchayats are mandated to prepare solid waste action plans, and Gram Panchayats must plan and implement Solid Waste Management at the village level, ensuring no open dumping or burning occurs.

d) **Awareness and Participation:** Local bodies are mandated to create public awareness campaigns to educate waste generators. Generators must be educated on minimizing waste, practicing home composting, wrapping sanitary waste securely, and handing over segregated waste. Local bodies will establish online grievance redressal mechanisms to ensure citizen voices are heard.

e) **Focus on Medium to Large Generators (Bulk Waste Generators):** BWGs must register on the centralized online portal. They are required to set up and operate adequate wet waste processing facilities on-site. If unable to process waste onsite, they must procure EBWGR Certificates from the local body. Local bodies will undertake periodic audits of the actual waste generated by BWGs to ensure compliance.

f) **Participation of Students of School and Colleges:** The Ministry of Education and State Education Departments are mandated to ensure the inclusion of solid waste management appropriately within school curricula. State Urban Development Departments will organize competitions and grant recognition awards to the best-performing schools, colleges, and institutions in term of SWM at both the state and district levels.

WHEREAS, a communication (letter no. 512 dated 19.03.2026) has already been made by the Board to different stakeholders for ensuring compliance with the Hon'ble Supreme Court order dated 19.02.2026.

File No. प/व–06–08/26/112

BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial
Area.P.O: Sadaquat Ashram,
Patna-800010
Date:01.04.2026

ORDER

Sub: Direction under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, for implementation of the provisions of Solid Waste Management Rules, 2026-reg.

WHEREAS, the Central Government has notified the Solid Waste Management Rules, 2026 (hereinafter referred to as SWM Rules, 2026), under the Environment (Protection) Act, 1986, in supersession to the Solid Waste Management Rules, 2016;

WHEREAS, Hon'ble Supreme Court vide order dated 19.02.2026 in the matter of Civil Appel No. 6174 of 2023, Bhopal Municipal Corporation vs. Dr. Subhash C. Pandey & Ors., has specifically directed Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India, to issue directions under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, to the Chief Secretaries of all States and Union Territories (UTs) for ensuring the conduct of specific actions mentioned in clause (ii) of paragraph 14 and paragraph 18.7 of the order dated 19.02.2026;

WHEREAS, in exercise of the powers vested under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in compliance of the directions passed by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 19.02.2026, the Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India issued directions, dated 25.03.2026, to Chief Secretaries of all States / UTs, Member Secretary, State Pollution Control Board / Pollution Control Committee and Member Secretary, Central Pollution Control Board.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in compliance of the directions issued by the Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India, Bihar State Pollution Control Board issues the following directions to conduct:

I. Through the District Collector, infrastructure audits of Solid Waste Management be carried out.

II. The District Collectors shall communicate the identified problems and the steps taken by the stakeholders to the Chief Secretary in a time-bound manner.

III. Every local body must establish and communicate an outer time-limit within which 100% compliance will be achieved.

IV. Ensure compliance of SWM Rules, 2026 including setting up of a multilevel governance structure as under, if not already established. Alternatively, designate the committees so established as one established under the SWM Rules, 2026, viz.,

I, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in compliance with the directions issued by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, direct that Action Taken Report (ATR) be submitted to the Bihar State Pollution Control Board within 15 days from the date of issue of these directions.

Encl: As above.

(D.K. Shukla)
Chairman.

To

1. The Additional Chief Secretary to the Government, Education Department, Government of Bihar.
2. The Principal Secretary to the Government, Urban Development & Housing Department/ Rural Development Department, Government of Bihar.
3. The Secretary to the Government, Panchayati Raj Department, Government of Bihar.
4. All District Magistrates, Bihar.
5. All Municipal Commissioners/ All Executive Officers/ All Municipal Corporations/ All Municipal Councils/ All Nagar Panchayats, Bihar.

Copy for Information to:-

1. The Additional Chief Secretary to the Government, Environment, Forest & Climate Change Department, Government of Bihar.